



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24062021-227855  
CG-DL-E-24062021-227855

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 346]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 24, 2021/आषाढ 3, 1943

No. 346]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 24, 2021/ASHADHA 3, 1943

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जून, 2021

**सा.का.नि. 434(अ).**—केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989, निम्नलिखित कतिपय प्रारूप नियम, जिसे केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संशोधन करने का प्रस्ताव करती है। इसको उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) द्वारा यथापेक्षित उनके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि प्रारूप नियमों को उस तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा जिसको सरकारी राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं।

इन प्रारूप नियमों से संबंधित आपत्तियां एवं सुझाव, यदि कोई हो, को संयुक्त सचिव (एमवीएल, परिवहन और टोल), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को भेज सकते हैं या [comments-morth@gov.in](mailto:comments-morth@gov.in) पर ई-मेल किया जा सकता है।

उपरोक्त अवधि समाप्त होने से पहले उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा;

**प्रारूप नियम**

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ - (1) इन नियमों को केन्द्रीय मोटर यान (... .. संशोधन) नियम, 2021 कहा जाएगा। (2) इन नियमों में यथा निहित के अलावा, ये नियम आधिकारिक राजपत्र में अपने अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम 115क में,
  - (i) केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 में नियम 115क के उप-नियम (9) के पैरा ग में, शब्दों "गैर-सड़क सुरक्षा चक्र (एनआरएससी)" को "गैर-सड़क नियमित चक्र (एनआरएससी)" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
  - (ii) उक्त नियम में, तालिका 1 में, "से लागू" शीर्षक के अधीन "1 अक्टूबर, 2021" के स्थान पर निम्नलिखित तारीख "1 अप्रैल, 2022" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
  - (iii) केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 में, नियम 115क के उप-नियम (10) के पैरा ग में, शब्दों "गैर-सड़क सुरक्षा चक्र (एनआरएससी)" को "गैर-सड़क स्थिर चक्र (एनआरएससी)" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं.आरटी-11028/22/2016-एमवीएल]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

**नोट :** मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 590 (अ), दिनांक 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पिछली बार अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 598(अ), दिनांक 30 सितम्बर, 2020 के माध्यम से संशोधित किए गए थे।

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th June, 2021

**G.S.R. 434(E).**— The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Official Gazette, are made available to the public;

Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Joint Secretary (MVL, Transport & Toll), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001 or on the email: [comments-morth@gov.in](mailto:comments-morth@gov.in);

The objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft rules before the expiry of the aforesaid period will be considered by the Central Government.

**DRAFT RULES**

1. Short Title and commencement.—(1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (.....Amendment) Rules, 2021.
- (2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
2. In the Central Motor Vehicle Rules, 1989, in rule 115A,

- (i) In the Central Motor Vehicle Rules, 1989, in rule 115A, in the sub-rule (9) para c, the words “Non-Road Safety Cycle (NRSC)” shall be replaced by “Non-Road Steady Cycle (NRSC)”
- (ii) In the said rule, in table 1, under the heading “Applicable with effect from”, instead of “1<sup>st</sup> October 2021” the following date shall be substituted “1<sup>st</sup> April 2022”
- (iii) In the Central Motor Vehicle Rules, 1989, in rule 115A, in the sub-rule (10) para c, the words “Non-Road Safety Cycle (NRSC)” shall be replaced by “Non-Road Steady Cycle (NRSC)”

[F. No. RT-11028/22/2016-MVL]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.

Note.- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended vide notification number G.S.R. 598(E) dated 30th September 2020.